राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

48वीं बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2014 से संबंधित कार्य बिन्दु

क्र.सं..	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
1	i) एन0आई0सी0 द्वारा बैंकों के लिये **Online creation of charge on land against loan** पर "सॉफ्टवेयर" तैयार कर लिया गया है। इसी क्रम में एन0आई0सी0 से अनुरोध है कि सभी बैंकों के नोडल अधिकारी को उनके **" कोर बैंकिंग सिस्टम "** के अनुरुप लागू करवाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करें, ताकि वे अपनी शाखाओं में इस साफ्टवेयर को व्यवहारिक रुप से आरम्भ करवा सकें और बैंकों को इसे देखने का अधिकार **(Viewing Rights)** प्राप्त हो। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर समुचित अध्यादेश जारी करें। **ii)** बैंकों ने राज्य सरकार से पुन: अनुरोध किया कि उनके द्वारा जारी किए गए " वसूली प्रमाण पत्र " को राज्य / जिला के **Website Portal** पर " ऑन लाइन फाइलिंग " करने की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, ताकि बैंक ऋणों की बकाया राशि के अनुश्रवण में सुधार लाया जा सके। **(कार्रवाई राज्य सरकार / एन0आई0सी0 / बैंक नियंत्रक)**	
2	वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बी0एस0एन0एल0 को वांछित बैंकिंग सेवारहित ग्रामों (10437) की ब्लाकवार सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी गयी है और बी0एस0एन0एल0 से पुन: अनुरोध है कि उक्त सूची के उन स्थान / क्षेत्र (Areas & Pockets), जहाँ पर ब्रॉड बैण्ड / वाई मैक्स कनेक्टिविटी उपलब्ध है, को चिन्हित कर एस0एल0बी0सी0, उत्तराखंड को शीघ्र सूचित करें, ताकि बैंकिंग सेवाओं के लिये कनेक्टिविटी विषय पर विभाग के उच्चाधिकारियों से चर्चा कर सकें। **(कार्रवाई – बी0एस0एन0एल0)**	

3	राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों द्वारा रु0 5 लाख तक के वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों को कृषि ऋणों की भाँति **"स्टॉम्प शुल्क"** से विमुक्त रखने की अधिसूचना जारी करवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि अधिकतर एस0एच0जी0 गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है और इस हेतु प्राप्त बैंक ऋण राशि का उपयोग कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के लिये किया जाता है। **(कार्रवाई – सचिव, वित्त, राज्य शासन)**	
4	भारत सरकार द्वारा राज्य में 5 जिलों के 10 चयनित ब्लाकों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन **(National Rural Livelihood Mission)** योजना को, जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस योजनाओं के प्रथम चरण में (Category – 1) चमोली एवं बागेश्वर को आई0ए0पी0 जिलों के अंतर्गत चयनित किया गया है। सभी पात्र Women SHGs से दिनांक 01.02.2014 के बाद कोई भी बैंक 7% (रु0 3 लाख तक के ऋणों पर) से अधिक ब्याज चार्ज नहीं करेगा और Interest Subvention की क्लेम राशि नाबार्ड के माध्यम से ऑन-लाइन प्राप्त करेंगे। **(कार्रवाई – राज्य प्रशासन/ समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)**	
5.	**i)** ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि **उत्तरकाशी जिले** में आयी प्राकृतिक आपदा के कारण, वहाँ की आरसेटी संस्थान हेतु चयनित भूमि क्षतिग्रस्त (Washed Away) हो गयी है। अत: बैंक का प्रशासन से अनुरोध है कि इसके लिये वैकल्पिक भूमि का प्रबंध शीघ्र किया जाये। **ii) चम्पावत जिले** में भी संस्थान हेतु चयनित भूमि को हस्तांतरित करने से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून से प्रतीक्षित है। **(कार्रवाई – सचिव (ग्राम्य विकास) / संबंधित निदेशक (आरसेटी)**	

<table>
<tr>
<td>6</td>
<td>i) बैंकों द्वारा राज्य प्रशासन से पुन: अनुरोध किया गया कि डी0बी0टी0 चयनित जिलों के अतिरिक्त राज्य के अन्य 10 जिलों में भी लाभार्थियों का डाटाबेस संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्ध करायें ताकि भविष्य में इन जिलों में डी0बी0टी0 के लागू होने पर, इस प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके।
ii) राज्य सरकार ने बैंकों से अनुरोध किया कि जब तक टिहरी गढ़वाल, चम्पावत एवं बागेश्वर जिलों के सभी पात्र निवासियों को “एन0पी0आर0 संख्या / आधार कार्ड “ उपलब्ध कराये जायें तब तक बैंक के0वाई0सी0 (Know Your Customers) के आधार पर ही डी0बी0टी0 का कार्य आरम्भ करा सकते हैं।
(कार्रवाई – राज्य सरकार / अग्रणी जिला प्रबंधक / संबंधित बैंक)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>बैंकों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत “क्लस्टर एप्रोच विलेज” में बैंकिंग सुविधायें पहुँचाने हेतु तीन वर्ष मार्च, 2013, मार्च, 2014 एवं मार्च 2015 तक की समय सीमा दी गयी है, परंतु बैंकों द्वारा सितम्बर, 2013 तक मात्र 1609 ग्रामों को ही बैंकिंग सेवाओं से आच्छदित किया गया है। अत; वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ पिछले वर्ष के “ बैकलॉग ” (Backlog) को भी प्राप्त करें।
(कार्रवाई – संबंधित बैंक)</td>
<td>बैंकवार 31 मार्च, 2014 तक की प्रगति
बैंक का नाम ; _____
<table>
<tr><th>समय सीमा</th><th>क्लस्टरों की संख्या</th><th>आच्छादित क्लस्टर</th><th>गाँव की संख्या</th><th>आच्छादित गाँव</th></tr>
<tr><td>मार्च, 2013</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मार्च, 2014</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मार्च, 2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत होटल भवन निर्माण हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों द्वारा प्रस्तावित निर्माण स्थल को कृषि भूमि से व्यवसायिक भूमि में परिवर्तित कराने में कठिनाई होती है, जिसके कारण बैंकों को ऋण निस्तारण करने में विलम्ब होता है। अत: राज्य प्रशासन से अनुरोध है कि इस विषय पर समुचित अध्यादेश जारी करें।

(कार्रवाई – सचिव,पर्यटन, उत्तराखंड शासन)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

9	वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकों द्वारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को दिये जाने वाले मानदेय (**Honorarium)** ₹ 3000/ प्रतिमाह के अतिरिक्त नाबार्ड भी उतनी ही राशि एवं लैपटाप, कम्प्यूटर (सहायक सामग्री) इत्यादि उपकरण क्रय करने हेतु, बी0सी0 को उपलब्ध कराये ताकि वे अपना कार्य सुगमतापूर्वक कर सकें। इसी क्रम में नाबार्ड से अनुरोध है कि अपने स्तर पर **Financial Inclusion Fund** के अंतर्गत समुचित कार्रवाई करें। (कार्रवाई – नाबार्ड)	
10	सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक मार्च, 2014 तक के त्रैमासिक **एस0एल0बी0सी0** डाटा (विवरणी **1-49)** जाँच कर दिनांक 19 अप्रैल, 2014 तक अनिवार्य रूप से **ई-मेल (agmslbc.zodeh@sbi.co.in)** द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें । (कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)	

****